रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02092025-265892
CG-DL-E-02092025-265892

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3906]	नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 2, 2025/भाद्र 11, 1947
No. 3906]	NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 2, 2025/BHADRA 11, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2025

का.आ. 4011(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए 'केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड', दिल्ली (पैन AAAAC8859Q), केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित एक बोर्ड, को उस बोर्ड को होने वाली निम्नलिखित निर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थात्:

(क) परीक्षा शुल्क;

(ख) संबद्धता (एफिलिएशन) शुल्क;

(ग) पंजीकरण शुल्क, खेल शुल्क, प्रशिक्षण शुल्क और अन्य शैक्षणिक प्राप्तियां;

(घ) सीबीएसई परियोजनाओं/कार्यक्रमों से प्राप्तियां;

(ङ) बैंक जमा/प्रतिभूतियों/ऋण एवं अग्रिम तथा आयकर रिफंड पर ब्याज;

(च) उपरोक्त (क) से (ङ) पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली पर निम्नलिखित के अध्ययधीन प्रभावी होगी:-

(क) किसी भी वाणिज्यिक गति विधि में संलग्न नहीं होगा;

(ख) गतिविधियां और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्ष में अपरिवर्तित रहेगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आयकर रिटर्न दाखिल करेगा ।

3. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के संबंधित वित्तीय वर्ष 2025-2026 से 2029-30 तक लागू होगी ।

[अधिसूचना सं. 145/2025/फा. सं. 196/90/2024-आईटीए-I]

मीनाक्षी सिंह, उप सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2025

S.O. 4011(E).— In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Central Board of Secondary Education', Delhi (PAN AAAAC8859Q), a Board constituted by the Central Government, in respect of the following specified income arising to that Board, namely:

(a) Examination Fees;
(b) Affiliation Fees;
(c) Registration Fees, Sports fees, Training fees and Other Academic receipts;
(e) Receipts from CBSE Projects/Programmes;
(f) Interest on Bank deposits/Securities/ Loan & Advances, and Income Tax Refunds;
(g) Interest earned on (a) to (e) above.

2. This notification shall be effective subject to Central Board of Secondary Education, Delhi:-

(a) shall not engage in any commercial activity;
(b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
(c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be applicable with respect to the financial years 2025-2026 to 2029-30 relevant to Assessment Year 2026-27 to 2030-31.

[Notification No. 145/2025/F. No.196/90/2024-ITA-I]

MEENAKSHI SINGH, Dy. Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA